तत्काल/समयबद्ध
संख्या–2231/नौ–9–2020–19ज/2019टी0सी

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. **समस्त नगर आयुक्त,**
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त अधिशासी अधिकारी,**
नगर पालिका परिषद/
नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2020**

विषय– ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत बिजनेस रिफार्म्स ऐक्शन प्लान, 2020 के कार्य बिन्दु ट्रेड लाइसेन्स के नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग (डी0पी0आई0आई0टी0) के बिजनेस रिफार्म्स ऐक्शन प्लान, 2020 के अन्तर्गत ट्रेड लाइसेन्स के नवीनीकरण की प्रकिया का निर्धारण कर सरलीकरण किया जाना अपेक्षित है।

2. प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न मदों हेतु लाइसेन्स निर्गत किये जा रहें हैं, जिनके लिए शुल्कों का निर्धारण नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है। उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–451 में अनुज्ञप्तियां और लिखित अनुज्ञायें देने, उन्हें निलम्बित करने या उनका प्रतिसंहरण करने तथा शुल्क, आदि के लगाये जाने के संबंध में सामान्य उपबन्धों का उल्लेख किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा–452 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति शुल्क इत्यादि के विषय में व्यवस्था का उल्लेख है। उक्त धारा–451 एवं धारा–452 के अप्तर्गत अनुज्ञप्तियां और लिखित अनुज्ञायें देने के लिए उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–541 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम उपविधियां बनाता है। इसी प्रकार की व्यवस्था एवं संगत धाराओं का समावेश उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 में किया गया है।

3. नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा तदनुसार बनायी गयी उपविधियों में सामान्य रूप से एक वर्ष के लिए शुल्क के भुगतान पर अनुज्ञा प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जा रही हैं, इसके कारण आवेदक को प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण (रिनीवल) हेतु व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। भारत सरकार द्वारा निर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत बिजनेस रिफार्म्स ऐक्शन प्लान, 2020 के अन्तर्गत वर्णित सुझावों/संस्तुतियों में यह इंगित किया गया है कि निकायों द्वारा निर्गत किये जाने वाले ट्रेड लाइसेंस की वैधता की समयावधि दीर्घकालिक होनी चाहिए साथ ही वैधता के नवीनीकरण की प्रकिया सरल होनी चाहिए जिससे अनावश्यक रूप से अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त कार्य हेतु बार बार आवेदन न करना पड़े। उक्त रिफार्म को लागू किये जाने के परिप्रेक्ष्य में निकायों द्वारा निर्गत किये जा रहे ट्रेड लाइसेंस की प्रकिया का सरलीकरण आवश्यक है।

4. उपरिवर्णित बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा निर्गत किये जाने वाले ट्रेड लाइसेंस की प्रकिया में निम्न व्यवस्था लागू की जाये :–

(i) नगर विकास विभाग द्वारा ट्रेड लाइसेंस निर्गत किये जाने हेतु ई–नगर सेवा पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से उपरोक्त विषयक कार्यवाही/सुविधा ऑनलाइन दिये जाने की व्यवस्था बनायी गयी है। समस्त निकाय तद्नुसार ट्रेड

लाइसेंस निर्गत किये जाने हेतु उक्त ऑनलाइन पोर्टल का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

(ii) ट्रेड लाइसेंस के ऑनलाइन निर्गत किये जाने की प्रकिया में ई–नगर सेवा पोर्टल के माध्यम से निर्गत किये गये लाइसेंसों के आटो रिनीवल का माड्यूल विकसित किया गया है। तद्नुसार ऐसे आवेदक जिनका लाइसेंस उक्त पोर्टल के माध्यम से निर्गत किया जा रहा है, उसके नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन सेवा का उपयोग कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(iii) निर्गत किये जाने वाले नवीन लाइसेंसों अथवा पूर्व से निर्गत लाइसेंस के वर्तमान में नवीनीकरण किये जाने की प्रक्रिया में लाइसेंस की वैधता को वार्षिक न रखकर न्यूनतम तीन वर्ष अथवा पांच वर्ष के लिये लाइसेंस निर्गत किया जाये। यदि आवेदनकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार एकमुश्त शुल्क तीन वर्ष अथवा पांच वर्ष के लिए दिया जाता है तो तद्नुसार निर्गत किये जाने वाले लाइसेंस की वैधता/समयावधि निर्धारित की जाये अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त वैधता की समयावधि तीन/पांच वर्ष किये जाने में इस प्रतिबंध के साथ समयावधि निर्धारित की जाये कि लाइसेंसधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के वार्षिक शुल्क को ससमय प्रत्येक वर्ष जमा कर दिया जायेगा और उपरोक्त वैधता निर्धारित समयावधि के अन्दर वार्षिक रूप से शुल्क जमा किये जाने पर ही लागू होगी अन्यथा निर्गत अनुज्ञप्ति की वैधता स्वतः समाप्त मानी जायेगी। यह बिन्दु मात्र वार्षिक रूप से जमा कराये जाने वाली फीस के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किया जा रहा है और प्रत्येक व्यवसाय/मद के अनुरूप निर्गत की जाने वाली अनुज्ञप्ति के विषयगत अन्य समस्त प्रतिबंध/शर्तें यथावत रहेंगी।

5. कृपया उपरिवर्णित निर्देशों के क्रम में समस्त नगरीय स्थानीय निकाय कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे एवं यथावश्यकता इस हेतु निर्गत उपविधियों में यदि संशोधन आवश्यक है तो उक्त कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ई–नगर सेवा पोर्टल के विषयगत कार्य किये जाने हेतु किसी भी सहायता के लिये श्री मोहन ठाकुर, मुख्य समन्वयक (आईटी) मोबाइल नम्बर 9415028591, ई–मेल mt.egov18@gmail.com से निकाय के संबंध में अधिकारी संपर्क कर सकते हैं।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि लाइसेन्स ऑटो रिनीवल की ऑनलाइन प्रक्रिया निर्धारित करने में यथा वांछित सहयोग नगर विकास विभाग एवं एन0आई0सी0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. श्री मोहन ठाकुर, मुख्य समन्वयक (आईटी) को इस आशय के साथ प्रेषित कि निकायों एवं NIC के मध्ये आनलाइन पोर्टल पर कार्य सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी समन्वय करें।
4. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार शर्मा)
विशेष सचिव।

GO BOARD -S